



2026:AHC:174414

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7605 वर्ष

2026

गुरेन्द्र पाल सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जितेन्द्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 75/2024 में दायर की गई है। यह प्रकरण भादं.सं की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120-ख और उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धाराओं 6/10 के तहत सलेमपुर पुलिस थाना, देवरिया ज़िले में दर्ज है। आवेदक ने अग्रिम जमानत की मांग की है क्योंकि उसे इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। आवेदक का नाम सह-आरोपी ने बताया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथित तौर पर आवेदक और दूसरे आरोपी के जाली आधार कार्ड बरामद किए हैं, जिन पर कथित पेशेवर देने वाले की तस्वीरें लगी हैं। मुख्य आरोपी बबलू उर्फ दर्शन सिंह बताया जाता है और उसे इस न्यायालय से नियमित ज़मानत मिल चुकी है। इसी तरह के प्रकरण में सह-आरोपी मनवीर सिंह को भी इस न्यायालय ने एनएबेल संख्या 2454/2025 में अग्रिम ज़मानत दी है। आवेदक का कहना है कि वह लगभग 24 साल का युवा है और अगर उसे इस प्रकरण में जेल भेजा गया तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आवेदक विवेचना में सहयोग करने का वादा करता है।

4. विद्वान एजीए ने ज़मानत की मांग का विरोध किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

6. सह-आरोपी ऋतुराज त्रिपाठी और मनवीर सिंह को इस न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत दी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। मुख्य आरोपी बबलू उर्फ दर्शन सिंह को इस न्यायालय ने नियमित ज़मानत दी है। आवेदक का प्रकरण भी इसी तरह का है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, आवेदक की अग्रिम ज़मानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

9. अगर आवेदक- **गुरेंद्र पाल सिंह** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू भरने पर, नीचे दी गई शर्तों के साथ, इस प्रकरण में तुरंत अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- ii. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं;

10. ऊपर दी गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय ज़मानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय